न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 187 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2013 / 00096

प्रार्थीगण

सुगणी पुत्री हेमा वगैरह

अप्रार्थीगण

लाधू पुत्र सामता वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 21.08.2013

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1, 4 (अ, ब, स,) की ओर से विद्वान अधिवक्त श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 (अ, ब, स, द) की ओर से विद्वान अधिवक्त श्री प्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक बेनिवाल व रमेश हेमागुड़ा उपस्थित।
5. अप्रार्थीगण संख्या 06 लगायत 10 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 25.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि हम प्रार्थीगण के दादा मुकना के नाम से ग्राम सांकड़ के पुराना खसरा नंबर 543 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 541 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 542 रकबा 29 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 547 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 551 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा के हमारे दादा मुकना के नाम से दर्ज है। पुराने खसरा संख्या 542 के नवीन खसरा संख्या 2369, 2370, 2371 के नवीन खसरा संख्या 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2426/3119 सृजित किए गये है। पुराने खसरा संख्या 547 के नवीन खसरा संख्या 2489, 2490, सृजित हुए है। वर्तमान में पुराना खसरा संख्या 543, 551 का कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त वर्णित खेत हमारे दादा एवं पिता हेमा जिसमें हमारे पिता हेमा का 1/4 हिस्से अनुसार पु[illegible] का[illegible]ली आ रही है। भूमि पैतृक संपति की होने से हम प्रत्येक बहिन का एक हिस्सा मि[illegible] का एक हिस्सा अर्थात् 1/7 हिस्सा यानि संपूर्ण भूमि में 1/7*1/4 = 1/28 हिस्सा कानून बनता है। अर्थात हम प्रार्थीयागण का उपरोक्त संपूर्ण आराजी में 6/28 हिस्सा यानि 3/14 प्रत्येक बहिन का 1/28 हिस्सा अनुसार है तथा 1/7 हिस्सा पिता हेमा का है। प्रत्येक अंशधारी का 1/7 हिस्सा अनुसार प्रार्थना–पत्र में वर्णित उक्त आराजी खसरा संख्या 2369, 2370, 2371, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2426/3119, 2489, 2490, रकबा क्रमशः 0.03, 0.02, 4.72,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

0.03, 1.20, 0.91, 0.01, 0.99, 0.06, 0.01, 3.68 हैक्टेयर जुमले रकबा 11.66 हैक्टेयर में हम प्रत्येक हेमा की पुत्री का रकबा 0.41643 हैक्टेयर भूमि बन्ट में आने से हम सभी प्रार्थीयागण का जुमले रकबा 2.49858 हैक्टेयर भूमि बंट में आती है एवं हेमा के बन्ट में रकबा 0.41643 हैक्टेयर अप्राथी संख्या 3 पिता के बंट में आती है। उपरोक्त आराजी जुमले 11.66 हैक्टेयर में हम प्रार्थीयागण के पिता हेमा के बन्ट की भूमि 2.915 हैक्टेयर हम प्रार्थीयागण का 2.49858 हैक्टेयर भूमि हम प्रार्थीयागण के बंट की है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीयागण विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमाई जावें कि वे वांके सरहद मौजा सांचौर, पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर में स्थित आराजी खसरा संख्या 2369, 2370, 2371, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2426/3119, 2489, 2490, रकबा क्रमशः 0.03, 0.02, 4.72, 0.03, 1.20, 0.91, 0.01, 0.99, 0.06, 0.01, 3.68 हेक्टेयर जुमले रकबा 11.66 हैक्टेयर में स्थित हम प्रार्थीयागण को अप्रार्थी हेमा के नाम की भूमि में 6/7 हिस्सा अर्थात रकबा 2.49858 हैक्टेयर में हमारे शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या नुक्शअमन ही करें न ही किसी अन्य से करावें तथा न ही वादग्रस्त आराजी आगे किसी को बेचान, रहन, भोगलावा, गिरवी, तर्क, बख्शीश, दान वगैरह ही करें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें ।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम सांचौर के खसरा नंबर 2369, 2370, 2371, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2426/3119, 2489, 2490 जुमले रकबा 11.66 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं[illegible] एक[illegible] की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2025.09.09 18:38:32 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक **25.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर
फास्ट ट्रेक
सांचौर (जालोर)
जिला जालोर